

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा, समस्तीपुर, पटना, जहानाबाद, शेखपुरा एवं भागलपुर।

पटना, दिनांक- 10/01, 2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 70,70,000/- (सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 70,70,000/- (सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:-

क्र. सं.	विषय शीर्ष	जिला का नाम						योग
		मधेपुरा	समस्तीपुर	पटना	जहानाबाद	शेखपुरा	भागलपुर	
1	वेतन	0	1,50,000	0	5,00,000	0	0	6,50,000
2	जीवन यापन भत्ता	0	20,000	0	45,000	0	0	65,000
3	मकान किराया भत्ता	0	15,000	0	25,000	0	0	40,000
4	विकित्सा भत्ता	0	15,000	0	15,000	0	0	30,000
5	अन्य भत्ता	0	20,000	0	15,000	0	0	35,000
6	कार्यालय व्यय	5,00,000	50,000	0	60,000	1,00,000	0	7,10,000
7	दूरभाष	10,000	0	0	0	15,000	0	25,000
8	विद्युत प्रभार	4,00,000	4,00,000	4,00,000	0	1,50,000	1,50,000	15,00,000
9	वदी/पोशाक	0	10,000	0	5,000	0	0	15,000
10	सामग्री एवं पूर्तियाँ	5,00,000	10,00,000	0	11,00,000	2,00,000	5,00,000	33,00,000
11	सविदा सेवाएँ	0	0	0	1,00,000	0	5,00,000	6,00,000
12	मशीन एवं उपस्कर	0	0	0	1,00,000	0	0	1,00,000
कुल योग-		14,10,000	16,80,000	4,00,000	19,65,000	4,65,000	11,50,000	70,70,000


(सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

कृ0पृ0उ0

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन


(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा, समस्तीपुर, पटना, जहानाबाद, शेखपुरा एवं भागलपुर।

पटना, दिनांक- 2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 70,70,000/- (सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 70,70,000/- (सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:-

क्र. सं.	विषय शीर्ष	जिला का नाम					योग	
		मधेपुरा	समस्तीपुर	पटना	जहानाबाद	शेखपुरा		भागलपुर
1	वेतन	0	1,50,000	0	5,00,000	0	0	6,50,000
2	जीवन यापन भत्ता	0	20,000	0	45,000	0	0	65,000
3	मकान किराया भत्ता	0	15,000	0	25,000	0	0	40,000
4	चिकित्सा भत्ता	0	15,000	0	15,000	0	0	30,000
5	अन्य भत्ता	0	20,000	0	15,000	0	0	35,000
6	कार्यालय व्यय	5,00,000	50,000	0	60,000	1,00,000	0	7,10,000
7	दूरभाष	10,000	0	0	0	15,000	0	25,000
8	विद्युत प्रभार	4,00,000	4,00,000	4,00,000	0	1,50,000	1,50,000	15,00,000
9	वदी/पोशाक	0	10,000	0	5,000	0	0	15,000
10	सामग्री एवं पूर्तियाँ	5,00,000	10,00,000	0	11,00,000	2,00,000	5,00,000	33,00,000
11	संविदा सेवाएँ	0	0	0	1,00,000	0	5,00,000	6,00,000
12	मशीन एवं उपस्कर	0	0	0	1,00,000	0	0	1,00,000
कुल योग-		14,10,000	16,80,000	4,00,000	19,65,000	4,65,000	11,50,000	70,70,000

(सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन


ह०/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-05/2018 सा०-.....36 /

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा, समस्तीपुर, पटना, जहानाबाद, शेखपुरा एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 10.01. 2019


सरकार के उप सचिव